न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 789/2025

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हंसाराम पुत्र खंगारा 2. जवाराम पुत्र जगता 3. हंसाराम पुत्र कुईया 4. बगदाराम पुत्र केवाराम (सभी जाति कुम्हार–प्रजापत, निवासी वरेठा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर)		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा, जिला जालोर औपचारिक प्रत्यर्थीगण – 2. जयन्ति पुत्र केवाराम 3. रमेश पुत्र केवाराम 4. भारता पुत्र कुईया 5. रामरथा पुत्र कुईया 6. मुपाराम पुत्र जगता 7. रारूपाराम पुत्र जगता (सभी जाति कुम्हार–प्रजापत, निवासी वरेठा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर)

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा (जालोर), आदेश कमांकः राजस्व/2025/578 दिनांक 14.08.2025

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनिया, रविना लामरोड़, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक. 1. .01.2026

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा (जालोर) द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 132 आरएलआर एक्ट के तहत तहसीलदार रानीवाडा के पत्र कमांक 756 दिनांक 31.07.25 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम वरेठा के खसरा नम्बर 27, 28, 11, 25 व 24 की उल्लेखित रकबा भूमि, किस्म जाव दोयम में से रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्ष की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट्स ग्राम वरेठा के ख0नं0 27 व 28 की भूमि के खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रानीवाडा ने उक्त खसरान में स्थित कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, वह सेटलमेंट की कार्यवाही संवत् 2012 में पूर्ण होने के उपरांत 65 वर्ष बाद एक पक्षीय प्रस्तावित किया गया है। आलौच्य प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया, जिससे वह अपना पक्ष नही रख सके। प्रस्ताव के संलग्न मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है, जिसकी सूचना अपीलांट्स को नही दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। मौके पर रास्ता चलायमान नही है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि रास्ते का प्रस्ताव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 30.9.21 तथा रास्ता खोलो अभियान परिपत्र दिनांक 4.4.25 के अनुसरण में मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम एवं रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार स्वीकार किया है, तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही तहसीलदार रानीवाडा के आवेदन/प्रस्ताव पर की गई हैं, जिसमें अपीलांट/संबंधित खातेदारों को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। उक्त स्थिति में ग्राम वरेठा के अपीलाधीन ख0नं0 27 व 28 की हद तक अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट आंि ाक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ (जालोर) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः राजस्व/2025/578 दिनांक 14.08.2025 को अपीलांट के खसरा नम्बर 27 व 28 की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में

रिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों/सह–खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उनकी उपस्थिति में मौके पर प्रचलित/कदिमी रास्ते का सत्यापन करवाकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 1.1.26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

1/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर